



प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

अवैध शस्त्र सहित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक:- 22.01.2023

पुलिस अधीक्षक श्री घुले सुशील चंद्रभान द्वारा जनपद में सघन चेकिंग एवम् अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है।

उक्त दिये गये निर्देश के क्रम में थाना रामकोट पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त टाईगर उर्फ साबित अली पुत्र हामिद नि० ग्राम गोबरेपुरवा थाना रामकोट जनपद सीतापुर को 01 अदद अवैध तमंचा व कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया है। बरामद अवैध शस्त्र के संबंध में मु०अ०सं० 51/23 धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त उपरोक्त का चालान मा० न्यायालय किया गया है।

- अभियुक्त का नाम/पता:- टाईगर उर्फ साबित अली पुत्र हामिद नि० ग्राम गोबरेपुरवा थाना रामकोट जनपद सीतापुर
- बरामदगी :- 01 अदद तमन्चा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर
- पंजीकृत अभियोग- मु०अ०सं० 51/23 धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट थाना रामकोट सीतापुर।
- पुलिस टीम:- 30नि० निर्मल तिवारी ,आरक्षी निजाम हुसैन ,आरक्षी अक्षय कुमार
- आपराधिक इतिहास-
 1. मु०अ०सं० – 51/23 धारा 25 (1-बी) आर्म्स एक्ट थाना रामकोट जनपद सीतापुर
 2. मु०अ०सं० 270/11 धारा 147/323/504/506 आईपीसी व 3(1) X SC/ST ACT थाना रामकोट सीतापुर

3. मु0अ0सं0 129/13 धारा 147/148/149/427/354/324/323 आईपीसी थाना रामकोट सीतापुर
4. मु0अ0सं0 196/13 धारा 3 UP गुण्डा ACT थाना रामकोट सीतापुर
5. मु0अ0सं0 107/13 धारा 323/504/506 आईपीसी व 3(1) X SC/ST ACT थाना रामकोट सीतापुर
6. मु0अ0सं0 69/18 धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट थाना रामकोट जनपद सीतापुर
7. मु0अ0सं0 196/16 धारा 147/323/307/452/506 आईपीसी
8. मु0अ0सं0 217/20 धारा 147/323/307/452/506 आईपीसी थाना रामकोट सीतापुर
9. मु0अ0सं0 220/20 धारा 25 (1-बी) आर्म्स एक्ट थाना रामकोट जनपद सीतापुर
10. मु0अ0सं0 110/20 धारा 147/323/332/504/506 आईपीसी थाना रामकोट सीतापुर

